**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर**
**पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.**

**राजस्व अपील : 45/2015**

**अपीलान्ट**

1 जुंजाराम पुत्र वगताजी
2 गोकलाराम पुत्र जगाजी जातियान चौधरी निवासीगण नरसाणा तहसील व जिला जालोर

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट :–**

1 भोमाराम पुत्र जेराराम चौधरी निवासी नरसाणा तहसील व जिला जालोर

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित :–
श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री गुणेशसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 9/3/2018

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 40/2012 बअनवान भोमाराम बनाम तहसीलदार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्रदान कराने की मांग की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जालोर से मौका जांच रिपोर्ट एवं डी0एल0सी0 दर तलब की गई, जो प्राप्त होने के पश्चात अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसीलदार जालोर द्वारा जो मौका निरीक्षण किया गया है, वह अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में किया गया है, अतः पुनः मौका निरीक्षण कराने का निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया। इसके पश्चात अपीलाण्ट के जवाब का अवसर भी बन्द करत हुए राजस्व लोक अदालत में अपीलाण्ट के हस्ताक्षर करवा कर जैर अपील निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया। लिहाजा अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मौजा नरसाणा के खसरा नम्बर 401 रकबा 1.94 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 406 रकबा 2.25 हैक्टेयर में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्राथमिक तौर पर तहसीलदार जालोर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार जालोर ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की भूमि में आवागमन का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताते हुए अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित बताया तथा प्रस्तावित भूमि की डी0एल0सी0 दर भी प्रेषित की। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर बहस सुनी गई तथा राजस्व लोक अदालत में जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम भी किया जा चुका है तथा आदेशानुसार पालना भी हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम नरसाणा के खसरा नम्बर 401 में आवागमन हेतु अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 406 में से रास्ता प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। प्रकरण में तहसीलदार जालोर द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें जाहिर किया कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई रास्ता दर्ज नहीं है। तहसीलदार द्वारा खसरा नम्बर 405 व 406 की माठ के सहारे सहारे रास्ता दिया जाना उचित बताया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 405 के खातेदार गोकला पुत्र जगमाला एवं खसरा नम्बर 406 के खातेदार जुझाराम पुत्र वगतीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट जुझाराम द्वारा पुनः मौका निरीक्षण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। प्रकरण में पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 द्वारा तहसीलदार जालोर के मार्फत जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, उसमें न तो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया हैं तथा न ही रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता, सुविधाजनक उपयोग एवं निकटतम एवं लघुतम मार्ग के आज्ञापक सिद्धान्तों पर किसी प्रकार की टिप्पणी की एवं न ही उसे रेखांकित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जालोर की रिपोर्ट को आधार मानते हुए उसके आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 2017 पेज 1 गिरदावरी जाट व अन्य बनाम सुल्तानराम व अन्य में प्रतिपादित किया कि ''राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1955–धारा 251ए–प्रार्थी की आराजी से रास्ता स्वीकृत करने का आदेश–अप्रार्थीगण का मामला नहीं कि मुरब्बा संख्या 48 से वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध आधार पर नहीं है – सुलभ मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता–अप्रार्थीगण उपलब्ध रास्ते का उपयोग कर रहे हैं–निर्णित, निचले न्यायालयों ने रास्ता स्वीकृत करने में त्रुटी की है तथा अपास्त होने योग्य है।" इस धारा में "absolute necessary" एवं "absence of alternative means of access is proved" ही वह कसौटी है, जिस पर खरा उतरने पर ही नये रास्ते की कायम के आदेश दिये जाना युक्तियुक्त एवं न्यायसम्मत होंगे। इसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251ए सुविधाजनक रास्ते को कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। हस्तगत प्रकरण में इन तथ्यों की किसी प्रकार से जांच नहीं की गई है। भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई, वह पक्षकारान की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त करते हुए अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर पुनः तलब कराने का निवेदन किया, जिसे अस्वीकार करने का कोई विधि सम्मत कारण आदेशिका दिनांक 08.12.2014 में अंकित नहीं है। इन समस्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 40/2012 बअनवान भोमाराम बनाम तहसीलदार जालोर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 9/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली